राजस्थान सरकार

अति–आवश्यक

कार्यालय आयुक्तालय कालेज शिक्षा राजस्थान जयपुर

एफ20(101)/लेखा/अंकमिलान/आकाशि/2018–19/ दिनांक

समस्त प्राचार्य
राजकीय महाविद्यालय,
राजस्थान

विषय :– वित्तीय वर्ष 2018–19 में माइनस मद में जमा राशि की सूचना भिजवाने के संबंध में।

महोदय

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपके महाविद्यालय में वित्तीय वर्ष 2018–19 में समस्त बजट मदों में माइनस मद में किसी भी प्रकार की राशि जमा करवाने की सूचना आयुक्तालय को भिजवाना अत्यावश्यक है। अंकमिलान कार्य की समाप्ति से पूर्व गत वर्षो से सबंधित वेतन, भत्ते एवं अन्य मदों में हुए अधिक अदायगियों की वसूली की माइनस प्रविष्टि की स्थानान्तरण प्रविष्टि अत्यावश्यक है। यदि अंकमिलान समाप्ति के पश्चात किसी महाविद्यालय की माइनस प्रविष्टि पाई जाती है और समायोजन से रह जाती है तो सम्बन्धित महाविद्यालय के प्राचार्य एवं लेखाकर्मी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगे। अतः 2 दिवस में आपके महाविद्यालय से संबंधित वित्तीय वर्ष 2018–19 में समस्त बजट मदों में माइनस मद में जमा राशि की सूचना भिजवाने का श्रम करे।

-Sd-
वित्तीय सलाहकार
कॉलेज शिक्षा राज0 जयपुर

एफ20(101)/लेखा/अंकमिलान/आकाशि/2018–19/15 दिनांक 25/04/19

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :–

1.उपनिदेशक कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर(कार्यालयाध्यक्ष एवं आ0 एवं वि0 अधिकारी)।
2. प्रभारी अधिकारी, विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

वित्तीय सलाहकार
कॉलेज शिक्षा राज0 जयपुर